422

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7

आदेश

पूर्व में यू.ओ.नोट कमांक एफ31(30)जविप्रा/सम/विविध/05/डी–2623 दिनांक 26.08.06 जारी कर प्राधिकृत लोक सूचना अधिकारियों से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आदेदकों द्वारा सूचना मांगे जाने पर सूचना के अस्पष्ट अथवा प्रश्न के रूप में होने पर आवेदक को अभिलेख निरिक्षण कराने के सुझाव के साथ दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

यह पाया गया कि लोक सचना अधिकारियों द्वारा कुछ प्रकरणों में सुगमता से देय सूचना के बावजूद आवेदक को अभिलेख अवलोकन के लिये आमंत्रित किया जाता है जबकि निरीक्षण/अवलोकन के लिये अलग से प्रावधान है और आवेदक ने अवलोकन के लिये अनुरोध नहीं किया है तो उसे अनावश्यक रूप से निरीक्षण के लिये आमंत्रित करना उचित नहीं होगा। यह प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर होता है।

सूचना के लिये यह कहकर इन्कार नहीं किया जा सकता कि आवेदन प्रश्नात्मक है अतः समस्त लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आवेदक को रिकार्ड के अवलोकन हेतु आवेदक के स्वयं चाहने पर/आवेदन पर अथवा अपवाद स्वरूप ही रिकार्ड निरीक्षण हेतु बुलाया जावे एवं आवेदक के प्रार्थना पत्र का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय में निस्तारण किया जावे।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर।

कमांक एफ31(30)जविप्रा/सम/वि/05/डी- 1756
दिनांक– 2/4/08

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव आयुक्त/सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. पंजियक एवं विशेषाधिकारी राजस्थान सूचना आयोग जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपर को अपील सं. 123/08 श्री बृजेश कुमार गुप्ता बनाम उपायुक्त जोन–8 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.08 की बिन्दु सं. 6, 7 एवं 8 की अनुपालना में प्रेषित है।
3. श्री बृजेश कुमार गुप्ता प्लॉट नं. 968–बी, बरकत नगर, किसान मार्ग, टोंक रोड, जयपुर।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी/विधि/वित्त/परियोजना/आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), अति.आयुक्त (प्रशासन), उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–1 से 12, जविप्रा, जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी/सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर।

D:\cordination\Kumawatji\U.O.Note.doc